न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्या:– 05/2015

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
352/2021	2021/108	23.09.2021	07.08.2025

उनवान

1. महावीर सिंह पुत्र रामकुवार सिंह
2. नेपाल सिंह पुत्र रामकुवार सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम लूणाजी तन राजनोता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. कान्ता पत्नी जनक सिंह
2. प्रदीप सिंह पुत्र जनक सिंह
3. विमला पुत्री जनक सिंह
4. मुकेश पुत्री जनक सिंह
5. मनोज पुत्री जनक सिंह
6. सुमन पुत्री जनक सिंह
7. नरपत सिहं पुत्र मांगू सिंह
8. रामावतार सिंह पुत्र मांगू सिंह
9. सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह
10. सुशीला देवी पत्नी जगदीश सिंह
11. राजेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह
12. पूनम कंवर पुत्री जगदीश सिंह
13. सैलाब कंवर पत्नी मुंशी सिंह (फौत)

13/1 बलवीरसिंह पुत्र मुंशीसिंह

14. कमला कंवर पत्नी राजेश सिंह
15. मून्नी कंवर पत्नी मदन सिंह
16. केशर सिंह पुत्र सुरजभान सिंह
17. गुलाब सिंह पुत्र सुरजभान सिंह
18. गोपाल सिंह पुत्र सुरजभान सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बींजाका बास तन कारोली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

19. जगदीश सिंह पुत्र सुरजमान सिंह
20. भंवर कंवर पुत्री सुरजभान सिंह
21. सजन कवर पुत्री सुरजभान सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बींजाका बास तन कारोली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान) हाल निवासी खेडा कर्मसोतान तन किशनगढ पोस्ट बादर सिदरी जिला अजमेर राजस्थान

22. राजबाला पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुगल कोटा तहसील बहरोड जिला अवलर राजस्थान
23. प्रबन्धक यू.को. बैंक शाखा कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
24. प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक शाखा कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
26. सब रजिस्ट्रार महोदय, कोटपूतली जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा कारोली तहसील कोटपूतली में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण है एवं शेष आराजी के खातेदार काश्तकार मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी प्रतिवादीगण है। मागुं सिंह पुत्र फूल सिंह फौत हो गये जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 8 है, सुरजभान सिंह पुत्र फूल सिंह फौत हो गये जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया को पक्षकारान ने मौके पर घरू तौर पर बांट रखा है, एवं वादीगण के हिस्से में आराजी हाल खसरा नम्बर 629/0.30 वाके मौजा कारोली तहसील कोटपूतली आये है जिस पर वादी तन्हा तौर पर बहैसियत खातेदार काश्ताकर काबिज है।

2. आराजी मुतदाविया का हाल राजस्व रिकॉर्ड में सामलात खाता होने के कारण आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होने का अन्देशा बना रहता है, कारण वादीगण ने अनेको बार प्रतिवादीगण को इस आराजी मुतदाविया का घरू बंटवारे के अनुसार तकास्मा करवाया जाने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे अब गत माह से साफ इनकार हो गये है इसलिए वादीगण को हक हो गया है कि वह आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 629/0.30 628/0.27 वाके मोजा कारोली तहसील कोटपूतली का घरू बंटवारे के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 629/0.30 वाके मौजा कारोली तहसील कोटपूतली का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे के लिए दावा तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. आराजी मुतदाविया का सामिल खाता होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है एवं प्रतिवादीगण आराजी का बगैर तकास्मा करवाये भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने को आमादा हो रहे है इसलिए वादीगण को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा कारोली तहसील कोटपूतली का बिना तकास्मा किये किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 629/0.30 वाके मौजा कारोली तहसील कोटपूतली में वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, इनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नही करे के लिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतदाविया का गत माह आराजी का तकास्मा करवाने से इनकार करने व वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने से पैदा हुआ है, अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। आराजी मुतदाविया न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में निवास करते है इसलिए न्यायालय को उपरोक्त वाद सुनने व तैय करने का अधिकार हांसिल है। वाद पत्र नियत कोर्ट फीस राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अनुसार फिक्स नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

4. अतः वादीगण दावेदार है कि एक किता डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा कारोली तहसील कोटपूतली का घरू बंटवारे के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादीगण को आराजी हाल खसरा वाके मौजा कारोली तहसील नम्बर 629/0.30 कोटपूतली का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.33, 624/ 0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा कारोली तहसील कोटपूतली का बिना तकास्मा किये किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 629/0.30 चाके मौजा कारोली तहसील कोटपूतली में वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, इनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नही करे। अन्य दादरसी जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे ।

5 वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। दिनांक 14.09.2015 को प्रतिवादी सं. 01, 13, 14, 15, 25, 26 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 23 व 24 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29.12.2015 को प्रतिवादी सं. 02, 07, 08, 19 लगायत 22 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 11.04.2017 को प्रतिवादी सं. 03 लगायत 06, 09 लगायत 12, 16 लगायत 18 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 14.11.2019 को वादी वकील ने प्रतिवादी सं. 13 की फौतगी पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24.01.2020 को वादी वकील द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया जो स्वीकार किया गया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 13/1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा, इस कारण प्रतिवादी सं. 13/1 के विरूद्ध एकपक्षीय दिनांक 20.03.2024 कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 05.12.2024 को प्रतिवादी सं. 23 व 24 को न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 08.01.2025 वादी वकील की एकपक्षीय बहस के उपरान्त वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 24.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5. अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा रेला प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला-जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

क्रसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 41/456 मांगू सिंह सरदारसिंह पि. फूलसिंह हि. 29/152 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 41/228 सुशीला पत्नी जगदीश सिंह राजेश पुत्र जगदीश सिंह पूनम पुत्री जगदीश सिंह हि. 41/304 बलबीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह हि. 41/456 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 41/456 सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह हि. 41/304 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 41/456 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	622/0.33, 624/0.05 हैक्ट0 भूमि।
2	कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 2/27 नेपालसिंह महावीरसिंह पि. रामकुंवार सिंह हि. 1/3 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 4/27 बलबीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह हि. 2/27 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 42/27 राजबाला पत्नी मदनसिंह हि. 2/9 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 2/27 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	628/0.27 हैक्ट0 भूमि।
3	नेपाल सिंह महावीरसिंह पुत्री रामकुंवार सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत राहिन बदस्तूर	629/1/0.2250 हैक्ट0 भूमि।
4	सुरजभान सिंह पुत्र फूलसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत	629/2/0.0750 हैक्ट0 भूमि।
5	कमला कंवर पत्नी राजू सिंह हि. 1/12 कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 1/12 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 1/6 सुशीला पत्नी जगदीश सिंह पूनम कंवर पुत्री जगदीश सिंह राजेश पुत्र जगदीश सिंह हि. 1/8 सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह हि. 1/8 मांगू सिंह सरदारसिंह पि. फूलसिंह हि. 1/4 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 1/12 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 1/12 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	631/0.31 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें।पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़) सत्यमेव जयते

17/10/25
संशोधन नोट - आदेश भाग 5 पृष्ठ सं. 04 पर क्रम सं. 02 पर वर्णित मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 42/27 के स्थान पर '2/27' दुरुस्त किया जाता है। पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्याः– 05/2015

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
352/2021	2021/108	23.09.2021	07.08.2025

उनवान

1. महावीर सिंह पुत्र रामकुवार सिंह
2. नेपाल सिंह पुत्र रामकुवार सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम लूणाजी तन राजनोता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. कान्ता पत्नी जनक सिंह
2. प्रदीप सिंह पुत्र जनक सिंह
3. विमला पुत्री जनक सिंह
4. मुकेश पुत्री जनक सिंह
5. मनोज पुत्री जनक सिंह
6. सुमन पुत्री जनक सिंह
7. नरपत सिहं पुत्र मांगू सिंह
8. रामावतार सिंह पुत्र मांगू सिंह
9. सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह
10. सुशीला देवी पत्नी जगदीश सिंह
11. राजेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह
12. पूनम कंवर पुत्री जगदीश सिंह
13. सैलाब कंवर पत्नी मुंशी सिंह (फौत)

13/1 बलवीरसिंह पुत्र मुंशीसिंह

14. कमला कंवर पत्नी राजेश सिंह
15. मून्नी कंवर पत्नी मदन सिंह
16. केशर सिंह पुत्र सुरजभान सिंह
17. गुलाब सिंह पुत्र सुरजभान सिंह
18. गोपाल सिंह पुत्र सुरजभान सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बींजाका बास तन कारोली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

19. जगदीश सिंह पुत्र सुरजमान सिंह
20. भंवर कंवर पुत्री सुरजभान सिंह
21. सजन कवर पुत्री सुरजभान सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बींजाका बास तन कारोली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान) हाल निवासी खेडा कर्मसोतान तन किशनगढ पोस्ट बादर सिदरी जिला अजमेर राजस्थान

22. राजबाला पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुगल कोटा तहसील बहरोड जिला अवलर राजस्थान
23. प्रबन्धक यू.को. बैंक शाखा कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
24. प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक शाखा कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
26. सब रजिस्ट्रार महोदय, कोटपूतली जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली बहरोड़)

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 622/0.33, 624/0.05, 631/0.31, 628/0.27, 629/0.30 वाके मोजा रेला प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्रसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 41/456 मांगू सिंह सरदारसिंह पि. फूलसिंह हि. 29/152 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 41/228 सुशीला पत्नी जगदीश सिंह राजेश पुत्र जगदीश सिंह पूनम पुत्री जगदीश सिंह हि. 41/304 बलबीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह हि. 41/456 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 41/456 सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह हि. 41/304 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 41/456 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	622/0.33, 624/0.05 हैक्ट0 भूमि।
2	कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 2/27 नेपालसिंह महावीरसिंह पि. रामकुंवार सिंह हि. 1/3 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 4/27 बलबीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह हि. 2/27 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 42/27 राजबाला पत्नी मदनसिंह हि. 2/9 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 2/27 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	628/0.27 हैक्ट0 भूमि।
3	नेपाल सिंह महावीरसिंह पुत्री रामकुंवार सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत राहिन बदस्तूर	629/1/0.2250 हैक्ट0 भूमि।
4	सुरजभान सिंह पुत्र फूलसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत	629/2/0.0750 हैक्ट0 भूमि।
5	कमला कंवर पत्नी राजू सिंह हि. 1/12 कान्ता पत्नी जनकसिंह प्रदीप सिंह पुत्र जनकसिंह मुकेश मनोज विमला सुमन पुत्री जनकसिंह हि. 1/12 नरपतसिंह रामावतार सिंह पि. मांगू हि. 1/6 सुशीला पत्नी जगदीश सिंह पूनम कंवर पुत्री जगदीश सिंह राजेश पुत्र जगदीश सिंह हि. 1/8 सुप्यार कंवर पुत्री सरदार सिंह हि. 1/8 मांगू सिंह सरदारसिंह पि. फूलसिंह हि. 1/4 मुन्नी कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 1/12 जाति राजपूत तीजा पत्नी सेडूराम हि. 1/12 जाति गुर्जर राहिन बदस्तूर	631/0.31 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 07.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

17.10.25 प्रोसीडिंग नोट:- डिक्री भाग के इस पृष्ठ पर क्र.सं. 02 में वर्णित मुन्नी कंवर पत्नि मदनसिंह हि. 42/27 के स्थान पर 4/27 दुरुस्त किया जाता है। पढ़ा

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)